

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ला दीयान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 226/2025

1. मयंक शर्मा पुत्र स्व. राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राघव शर्मा पुत्र स्व. राधेश्याम शर्मा नाबालिग जरिये संरक्षक माता चन्दना देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. चन्दना देवी पत्नी स्व. स्व. राधेश्याम जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

वनाग

1. गोपीकिशन पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मिनाक्षी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सरिता पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रेरणा शर्मा पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 14/11/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल विस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 13 पीबीएन के खाता सं. 117 के प.नं. 29/315 की 0.620 हैक्. मे से 1/2 हिस्सा, खाता सं. 118 के प.नं. 30/316 की 2.530 हैक्. मे से 1.6445 हैक्. व खाता सं 119 के प.नं. 30/316 की 1.518 हैक्. मे से 0.253 हैक्. व खाता सं. 120 के प.नं. 29/315, 30/315 की 0.632 हैक्. मे से 0.316 हैक्. के वादीगण को 1/2 हिस्सा ब.हि. व. व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं.1 को व चक 15 पीबीएन के खाता सं. 129 के प.नं. 27/311 की 4.364 हैक्. मे से 2.182 हैक्. व चक 12 पीबीएन के खाता सं. 102 के प.नं. 33/302 के किला नं. 16/1, 16/2 की 0.253 हैक्. के वादीगण को 1/2 हिस्सा ब.हि.व. व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। स्व. राधेश्याम, स्व. ओमप्रकाश, स्व. मदनलाल, प्रतिवादी सं. 2-3 का नाम हक व हिस्सा कलक्टर को घोषित किया जाता है।



तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग

सहायक कलक्टर एव

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बासनी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर पीलीबंगा
पद संहायक कलेक्टर
पीलीबंगा